(2018)7 एस.सी.आर. 747

बी.सी. सिंह (मृत) विधिक प्रतिनिधियों द्वारा।
बनाम
जे.एम. यूटारिड (मृत) विधिक प्रतिनिधि द्वारा।

(2011 की सिविल अपील संख्या 6935) 08 मई, 2018

[एन. वी. रमना और एस. अब्दुल नज़ीर, जे.जे.)

उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 - धारा 24,25,26,33,35,47 और 48 - मूल वादी और उसकी पत्नी (दोनों ईसाई) ने एक अचल संपत्ति खरीदी - दोनों के पास संपत्ति में बराबर हिस्सा था - पत्नी ने अपने रिश्तेदार को अपने परिवार के साथ अपनी संपत्ति पर रहने के लिए आमंत्रित किया - पत्नी की मृत्यु बिना कोई सन्तान छोड़े हो गयी - कुछ समय बाद, वादी और उसकी पत्नी के रिश्तेदार के बीच कब्जे के लिए विवाद पैदा हो गया - पत्नी के रिश्तेदार ने उत्तराधिकार के माध्यम से संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा किया। वादी और उसकी पत्नी के रिश्तेदार दोनों की मृत्यु हो गई और उनके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाया गया - वादी के कानूनी प्रतिनिधियों ने तर्क दिया कि वादी की पत्नी के न तो रिश्तेदार और न ही उसके बच्चे मुकदमे की संपत्ति के सह-मालिक थे और इसके अलावा अगर वे वादी की पत्नी से रिश्तेदार थे, तो भी वे उसके हिस्से में उत्तराधिकारी नहीं हो सकते थे क्योंकि वादी की पत्नी की बहन जीवित थी । वादी के पास पहले से ही विक्रय विलेख के आधार पर संपत्ति में आधा हिस्सा था और अपनी पत्नी की मृत्यु पर वह अपनी पत्नी द्वारा धारित, संपत्ति के आधे हिस्से का उत्तराधिकारी बन गया, जैसा कि अधिनियम की धारा 33 (बी) आर/डब्ल्यू एस 35 के तहत प्रदान किया गया था - इस प्रकार, उसके पास पूरी संपत्ति में 3/4 हिस्सा था - अब, जहां तक 1/4 हिस्से का संबंध था, वादी की पत्नी ने अपने पीछे कोई वंशज नहीं छोड़ा और केवल अपनी बहन को पीछे छोड़ा था - उसकी बहन संपत्ति की एकमात्र करीबी और अधिमान्य उत्तराधिकारी थी और वह संपत्ति में 1/4 हिस्से में उत्तराधिकारी होगी - पत्नी के रिश्तेदार के कानूनी प्रतिनिधि संपत्ति में किसी भी हिस्से को प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे क्योंकि निर्वसीयती ने अपनी सगी बहन को पीछे छोड़ा है।

अपील को स्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा:

1. मूल वादी और उसकी पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से एक अचल संपत्ति खरीदी गई थी। दोनों के पास पूरी संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी थी। वादी की पत्नी ने एक रिश्तेदार को सपरिवार अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। वादी की पत्नी की मृत्यु निःसन्तान

हो गई।

747 सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 7 एस.सी.आर.

कुछ समय बाद, वादी ने अपनी पत्नी के रिश्तेदार को संपत्ति खाली करने के लिए कहा। हालांकि, पत्नी के रिश्तेदार ने वादी की मृत पत्नी के दूर के सम्बन्धी के रूप में संपत्ति में 1/4 हिस्से का दावा किया। [पैरा 1, 4 और 10] [749-एफ-एच; 750-सी; 751-ई-एफ]

2. वादी और उसकी पत्नी ईसाई थे। इसलिए, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 संपत्ति के उत्तराधिकार पर लागू होगा। अधिनियम के भाग V में निर्वसीयती मृत्यु वाले व्यक्ति के उत्तराधिकार के नियम निर्धारित किए गए हैं। हालांकि, यह भाग किसी भी हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख या जैन की संपत्ति पर लागू नहीं होता है जो अधिनियम की धारा 29 से स्पष्ट है। धारा 32 में कहा गया है कि किसी निर्वसीयती की संपत्ति पत्नी या पति पर, या उन लोगों पर हस्तांतरित की जाती है जो उक्त अध्याय में निहित नियमों के अनुसार मृतक के उत्तराधिकारी हैं। [पैरा 9, 13] [751-सी-डी; 752-एफ-जी]

3. प्रस्तुत मामले में, याचिकाकर्ता (वादी की पत्नी) ने अपने पति और परिजनों को पीछे छोड़ा है । उसका धारा 25 के तहत परिभाषित कोई वंशज नहीं हैं। धारा 42 से 48 ऐसे निर्वसीयती की संपत्ति के वितरण के नियमों को निर्धारित करती है जहां बच्चों या दूरस्थ वंशजों को छोड़े बिना निर्वसीयती की मृत्यु हो गई थी और वितरण के नियम प्राथमिकता के क्रम में हैं। [पैरा 15] [753-सी-डी]

4. वादी के पास पहले से ही विक्रय विलेख के आधार पर संपत्ति में आधा हिस्सा है। पति होने के नाते वह अपनी पत्नी द्वारा धारित संपत्ति में आधे हिस्से का उत्तराधिकारी होगा, जैसा कि अधिनियम की धारा 35 के साथ धारा 33 (बी) के तहत प्रावधान किया गया है। इस प्रकार, वह पूरी संपत्ति में 3/4" हिस्सा रखता है। [पैरा 16] [753-डी-ई]

5. धारा 47 से यह स्पष्ट है कि यदि निर्वसीयती ने न तो किसी वंशज को छोड़ा है, न ही पिता, न ही माता, तो संपत्ति को उसके भाइयों और बहनों और उनके बच्चे या बच्चों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा जो उससे पहले मर गए होंगे, ऐसे बच्चे केवल समान हिस्सा लेते हैं जो उनके संबंधित माता-पिता को निर्वसीयती की मृत्यु के समय प्राप्त होता। इस मामले में वादी की पत्नी अपने पीछे अपनी बहन को छोड़ गई है। उसने अपने पीछे कोई वंशज नहीं छोड़ा है। उसकी बहन संपत्ति की एकमात्र करीबी और अधिमान्य उत्तराधिकारी थी और वह संपत्ति में 1/4 हिस्सा पाने में सफल होगी। [पैरा 18] [753-जी-एच; 754-ए-बी]

.

6. वितरण के नियम प्राथमिकता के क्रम में हैं जैसा कि धारा 42 से 48 में निहित है। अधिनियम की योजना से यह स्पष्ट है कि जब संपत्ति ने किसी वंशज को पीछे नहीं छोड़ा है और केवल दयालु ता की है, तो निकट के निवासी को दूर के लोगों को शामिल नहीं किया गया है। पत्नी का रिश्तेदार दूर का रिश्तेदार होने के नाते संपत्ति में किसी भी हिस्से को सफल होने का हकदार नहीं है क्योंकि संपत्ति ने अपनी असली बहन को पीछे छोड़ दिया है। [पैरा 20] [754-डी-ई]

बी.सी. सिंह (मृत) विधिक प्रतिनिधियों द्वारा बनाम जे.एम. यूटारिड (मृत) विधिक प्रतिनिधि द्वारा।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:

2011 की सिविल अपील संख्या 6935।

उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल के 2001 की द्वितीय अपील संख्या 31 (पुरानी संख्या 1985 की 1510) में दिनांक 22.08.2005 के निर्णय और आदेश से।

सुश्री बीनू टम्टा, सुदर्शन सिंह रावत, अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता।

वरिंदर कुमार शर्मा, सुश्री पारुल शर्मा, शांतनु शर्मा, युगल के. प्रसाद, प्रतिवादियों के लिए अधिवक्ता।

अदालत का निर्णय एस अब्दुल नज़ीर, जे. 1 द्वारा सुनाया गया ।

अपीलकर्ताओं-वादी द्वारा यह अपील नैनीताल में उत्तरांचल उच्च न्यायालय द्वारा पारित द्वितीय अपील संख्या 31/2001 (पुरानी संख्या 1510/1985) में दिनांक 22.08.2005 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध निर्देशित है।

2. इस अपील के निस्तारण के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य नीचे दिए गए हैं।

3. डॉ. बी. सी. सिंह और उनकी पत्नी डॉ. स्टेला लिलियन सिंह (संक्षेप में डॉ. एस. एल. सिंह) ने दिनांक 11.2.1952 को विक्रय विलेख द्वारा रानीखेत में सर्वे संख्या 199 में स्थित एनेक्सी नंबर 2/3/4 और एनेक्सी नंबर 2/3/5 के साथ कैपेल कॉटेज नंबर 2/3/3 के नाम से जानी जाने वाली अचल संपत्ति खरीदी थी। डॉ. एस. एल. सिंह का निधन 20.3.1976 को हुआ और कोई सन्तान नहीं थी। डॉ. बी. सी. सिंह और उनकी मृत पत्नी डॉ. एस. एल. सिंह ईसाई थे। वर्ष 1968 में डॉ. एस. एल. सिंह जे.एम. उटारिद से परिचित

हुयीं, और उन्होंने उन्हें रानीखेत में आमंत्रित किया। जे.एम. उटारिद 1969 में रानीखेत आए और डॉ. बीसी सिंह और उनकी पत्नी के घर पर रहे। इस अवधि के दौरान जे.एम. उटारिड ने पिछले किरायेदार द्वारा खाली किए जाने के बाद केपेल कॉटेज एनेक्सी नंबर 2/3/5 में रहना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद, डॉ. बी.सी. सिंह ने जे.एम. उटारिद और उनके बच्चों को एनेक्सी खाली करने के लिए कहा, लेकिन वे परिसर खाली करने में विफल रहे। डॉ. बी.सी. सिंह ने जे.एम. उटारिड के खिलाफ निष्कासन के लिए मुकदमा दायर किया। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2018] 7 एस.सी.आर.

मुकदमा 28.8.1978 को खारिज कर दिया गया क्योंकि डॉ. बी.सी. सिंह श्री जे.एम. उटारिड की किरायेदारी साबित करने में विफल रहे। उक्त आदेश के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद, डॉ. बी.सी. सिंह ने श्री जे.एम. उटारिद और उनके दो बेटों के खिलाफ संपत्ति के कब्जे और क्षतिपूर्ति के लिए 1980 का सिविल मुकदमा संख्या 32 दायर किया, इस आधार पर कि वे वाद संपत्ति के संबंध में लाइसेंसधारक थे और 4.10.1980 को दिए गए नोटिस द्वारा उनका लाइसेंस समाप्त कर दिया गया था।

4. प्रतिवादियों ने लिखित बयान दाखिल किया जिसमें कहा गया कि वादी संपत्ति का एकमात्र मालिक नहीं है। यह तर्क दिया गया था कि मृतक डॉ. एस. एल. सिंह उनके रिश्तेदार थी। उसकी मृत्यु पर, प्रतिवादी नंबर 1, एक दूर के रिश्तेदार, को पूरी संपत्ति में 1/4 " हिस्सा उत्तराधिकार में मिला। इसलिए, वादी संपत्ति के कब्जे के अनुतोष का हकदार नहीं था और न ही वह किसी भी क्षतिपूर्ति का हकदार था।

5. विचारण न्यायालय ने 24.11.1981 के अपने फैसले और डिक्री द्वारा मुकदमा खारिज कर दिया। डॉ. बी.सी. सिंह ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष 1981 की सिविल अपील संख्या 21 दायर करके उक्त डिक्री को चुनौती दी। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 3.9.1985 के अपने निर्णय और डिक्री द्वारा अपील स्वीकार की, विचारण न्यायालय के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया और मुकदमा डिक्री कर दिया गया। इस डिक्री को उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील में प्रतिवादियों द्वारा लाया गया। उच्च न्यायालय ने दिनांक 22-08-2005 के अपने निर्णय और डिक्री द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय और डिक्री को पलट दिया। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील लंबित रहने के दौरान, डॉ बी.सी. सिंह की मृत्यु हो गई और उनके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाया गया है। इसी तरह, पहले प्रतिवादी जे.एम. उटारिद की भी मृत्यु हो गई और उनके विधिक प्रतिनिधि पहले से ही रिकॉर्ड पर थे।

6. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अपीलकर्ताओं-वादी के विद्वान

अधिवक्ता का तर्क यह है कि न तो जे.एम. उटारिद और न ही उनके बच्चे (मुकदमे में प्रतिवादी) वाद संपत्ति के सह-मालिक थे और मूल वादी, अर्थात् डॉ बी.सी. सिंह संपत्ति के एकमात्र मालिक थे। प्रतिवादी केवल लाइसेंसधारी थे और उनका लाइसेंस समाप्त कर दिया गया था। आगे यह तर्क दिया गया है कि भले ही प्रतिवादी डॉ. एस.एल. सिंह के सम्बन्धी थे, लेकिन वे उनके हिस्से के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते थे क्योंकि डॉ एस.एल. सिंह की बहन इडा उटारिद जीवित थीं। वह प्रतिवादियों की तुलना में अधिमान्य उत्तराधिकारी थी। इससे भी अधिक, प्रथम प्रतिवादी इडा उटारिड की तुलना में एक दूर का व्यक्ति था और संपत्ति में उत्तराधिकारी होने का हकदार नहीं था। यद्यपि इदा उटारिद एक विदेशी नागरिक थी, लेकिन उसकी मृत बहन डॉ. एस. एल. सिंह की संपत्ति में अपने हिस्से के लिए उत्तराधिकारी होने पर कोई रोक नहीं थी। बी.सी. सिंह (डी) एलआरएस द्वारा। v जे.एम. उटारिड (डी)

[एस अब्दुल नज़ीर, जे।

7. दूसरी ओर, उत्तरादातागण-प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि इदा उटारिड, डॉ एस.एल. सिंह की संपत्ति में उत्तराधिकारी होने की हकदार नहीं है क्योंकि वह एक पाकिस्तानी नागरिक है। प्रतिवादी मृतक डॉ. एस. एल. सिंह के परिजन होने के नाते वाद संपत्ति में 1/4 "अविभाजित हिस्से के हकदार हैं। वे सह-मालिक हैं, न कि लाइसेंसधारक जैसा कि वादी द्वारा तर्क दिया गया है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने वाद को उचित रूप से खारिज कर दिया।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता(मेड एट दि बार) की प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया ।

9. डॉ. एस. एल. सिंह का निधन 20.3.1976 को बिना कोई संतान छोड़े हो गया। यह विवादित नहीं है कि इदा उत्तारिद डॉ. एस. एल. सिंह की सगी बहन हैं। स्वीकृत वंशावली के अनुसार, एम. उटारिड के दो बेटे थे, जिनका नाम डॉ. एम. बी. उटारिद और नजीर उटारिद था। नजीर उतारिद की दो बेटियां थीं, जिनके नाम डॉ. एस. एल. सिंह (मूल वादी की पत्नी) और इदा उटारिद थे। जे.एम. उटारिड (प्रतिवादी संख्या 1) ई. उदारिद के पुत्र और डॉ. एम. बी. उटारिड के पोते हैं। डॉ. एस. एल. सिंह एक भारतीय ईसाई हैं। इसलिए, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (संक्षेप में 'अधिनियम') उसके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के उत्तराधिकार पर लागू होगा। यह अधिनियम किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी भी भारतीय ईसाई की संपत्ति के उत्तराधिकार पर रोक नहीं लगाता है जो भारतीय नागरिक नहीं है। विरासत में विदेशी नागरिक द्वारा भारत में संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए कोई निषेध नहीं है।

10. माना कि कैपेल कॉटेज के नाम से जानी जाने वाली अचल संपत्ति को मूल वादी डॉ. बी.सी. सिंह और उनकी पत्नी डॉ. एस.एल. सिंह ने संयुक्त रूप से खरीदा था। इसलिए, उनमें से प्रत्येक पूरी संपत्ति में समान हिस्सा रखता है। प्रतिवादियों के अनुसार, पहला प्रतिवादी मृतक डॉ. एस. एल. सिंह का परिजन है और उसकी मृत्यु के बाद सह-मालिक बन गया है। इसलिए, उसे मुकदमा संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता है। वाद की विषय वस्तु कैपेल कॉटेज के अनुबंध संख्या 2/3/5 है।

11. धारा 24 में सगोत्र या सगोत्र सम्बन्ध को परिभाषित किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

- एक ही वंश या सामान्य पूर्वज के वंशज व्यक्तियों का संबंध या संबंध है।

12. धारा 25 और 26 में वंशानुगत रक्त सम्बन्ध और संपार्श्विक रक्त सम्बन्ध को वर्गीकृत किया गया है, जो निम्नानुसार है:

(1) वंशीय सजातीयता वह है जो दो व्यक्तियों के बीच विद्यमान होता है, जिनमें से एक का नाम उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 7 एस.सी.आर.

दूसरी से सीधी रेखा, जैसे एक आदमी और उसके पिता, दादा और परदादा के बीच, और सीधी आरोही रेखा में ऊपर की ओर, या एक आदमी और उसके बेटे, पोते, परपोते के बीच और इसी तरह सीधी अवरोही रेखा में नीचे की ओर हो।

(2) प्रत्येक पीढ़ी एक डिग्री का गठन करती है, या तो आरोही या अवरोही।

(3) किसी व्यक्ति का पिता पहली डिग्री में उससे संबंधित है, और इसी तरह उसका बेटा है; दूसरी डिग्री में उसका दादा और पोता; तीसरी डिग्री में उसका परदादा और परपोता, और इत्यादि हैं।

"26. (1) संपार्श्विक सजातीयता वह है जो दो व्यक्तियों के बीच विद्यमान होती है जो एक ही वंश या पूर्वज के वंशज होते हैं, लेकिन जिनमें से कोई भी दूसरे से सीधी रेखा में नहीं होता है।

(2) यह पता लगाने के लिए कि किसी मृतक व्यक्ति के लिए कोई संपार्श्विक रिश्तेदार किस स्तर का है, मृतक व्यक्ति से सामान्य वंश तक ऊपर की ओर और फिर संपार्श्विक रिश्तेदार के लिए नीचे की ओर गणना करना आवश्यक है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आरोही और अवरोही दोनों के लिए एक डिग्री की अनुमति दी गयी है।

इस प्रकार वंशीय सजातीयता एक सीधी रेखा में जुड़े दो व्यक्तियों के बीच होती है, चाहे वह अवरोही हो या आरोही, वंशावली सूचक से खींची गई हो। संपार्श्विक सजातीयता एक रेखा से जुड़े दो व्यक्तियों के बीच होती है जो एक सीधी रेखा नहीं होती है।

13. अधिनियम के भाग V में निर्वसीयती मृत्यु प्राप्त व्यक्ति के उत्तराधिकार के नियम निर्धारित किए गए हैं। हालांकि, यह भाग किसी भी हिंदू, मुहम्मडन, बौद्ध, सिख या जैन की संपत्ति पर लागू नहीं होता है जो अधिनियम की धारा 29 से स्पष्ट है। धारा 32 में कहा गया है कि किसी निर्वसीयती की संपत्ति पत्नी या पति पर, या उन लोगों पर हस्तांतरित की जाती है जो उक्त अध्याय में निहित नियमों के अनुसार मृतक के उत्तराधिकारी हैं। धारा 33 (बी) इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, जो निम्नानुसार है:

'' 33 जहाँ निर्वसीयती ने विधवा और वंशजों को, या केवल विधवा और अविवाहितों को, या विधवा को छोड़ा हो और कोई भी व्यक्ति न रह गया हो। - जहां एक विधवा को छोड़ दिया गया है - **बीसी सिंह (डी) एलआरएस बनाम जेएम उटारिड (डी) एलआरएस द्वारा।**

[एस अब्दुल नज़ीर, जे।
(क)--
(ख) [धारा 33 क के उपबंध के अनुसार], यदि उसने कोई वंशज नहीं छोड़ा है, परन्तु ऐसे व्यक्तियों को छोड़ दिया है जो उसके रक्त सम्बन्धी हैं, तो उसकी सम्पत्ति का आधा भाग उसकी विधवा का होगा, और शेष आधा भाग इसके पश्चात अन्तर्विष्ट क्रम और नियमों के अनुसार उन लोगों के पास जाएगा जो उसके रक्त सम्बन्धी हैं,
(सी) --।

14. धारा 35 में कहा गया है कि अपनी मृतक पत्नी के जीवित रहने वाले पति को उसकी संपत्ति के संबंध में वही अधिकार हैं, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, जैसा कि एक विधवा को अपने पति की संपत्ति के संबंध में है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है।

15. इस मामले में, निर्वसीयती ने अपने पति को पीछे छोड़ा है। उसका धारा 25 के तहत परिभाषित कोई वंशज नहीं हैं। धारा 42 से 48 एक ऐसी निर्वसीयती की संपत्ति के वितरण के नियमों को निर्धारित करती है जहां बच्चों या दूरस्थ वंशजों को छोड़े बिना निर्वसीयती की मृत्यु हो गई थी और वितरण के नियम प्राथमिकता के क्रम में हैं।

16. डॉ. बी.सी. सिंह के पास 11.2.1952 के विक्रय विलेख के आधार पर संपत्ति में पहले ही आधा हिस्सा है। डॉ. एस. एल. सिंह के पति होने के नाते वह अधिनियम की धारा 33

(बी) और धारा 35 के तहत उनके द्वारा धारित संपत्ति में आधे हिस्से का उत्तराधिकार लेंगे। इस प्रकार, वह पूरी संपत्ति में 3/4 "हिस्सा रखता है। अब सवाल यह है कि संपत्ति में शेष 1/4 "हिस्से का क्या होना चाहिए?

17. धारा 47 में उस संपत्ति के हस्तांतरण का प्रावधान है जहां संपत्ति ने न तो वंशज, न ही पिता और न ही माता को छोड़ा है। उक्त धारा निम्नानुसार है -

''47. जहाँ निर्वसीयती न तो पारम्परिक वंशज को , न पिता को, न ही माता को छोड़ गया है - जहां निर्वसीयती ने न तो वंशज, न ही पिता, न ही माता को छोड़ दिया है, संपत्ति को उसके भाइयों और बहनों और उनमें से ऐसे बच्चों या बच्चों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा जो उससे पहले मर गए होंगे, ऐसे बच्चे (यदि एक से अधिक हैं) केवल समान शेयरों में लेते हैं जो उनके संबंधित माता-पिता निर्वसीयती की मृत्यु के समय रहते हुए प्राप्त करते।

18. इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि यदि निर्वसीयती ने न तो अपने वंशज, न पिता और न ही माता को छोड़ा है, तो संपत्ति को उसके भाइयों और बहनों और बच्चे या बच्चों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा, जिनमें से जो उससे पहले मर चुके होंगे, ऐसे बच्चे केवल उन शेयरों के बराबर शेयर लेते हैं जो उनके संबंधित माता-पिता ने मृत्यु के समय प्राप्त किये होते। इस मामले में डॉ. एस. एल. सिंह अपने पीछे अपनी बहन इदा उटारिद को छोड़ गयी हैं। उसने अपने पीछे कोई वंशज नहीं छोड़ा है। इदा उटारिड संपत्ति का एकमात्र करीबी और अधिमान्य उत्तराधिकारी थी और वह संपत्ति में 1/4 "हिस्सा प्राप्त करेगी।

19. यह केवल तभी होता है जब संपत्ति न तो वंशज, न माता-पिता, न ही भाई और न ही बहन को छोड़ देती है, संपत्ति को उस व्यक्ति के उन रिश्तेदारों के बीच विभाजित किया जाना चाहिए जो उसके निकटतम स्तर पर हैं। यह धारा 48 से स्पष्ट है, जो निम्नानुसार है:-

 ''48. जहाँ न तो वंशज को छोड़ा गया है, न माता-पिता, न भाई, न ही बहन। - जहां संपत्ति ने न तो वंशज को छोड़ा है, न ही माता-पिता, न ही भाई, न ही बहन, उसकी संपत्ति को उसके उन रिश्तेदारों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा जो उसके निकटतम डिग्री के वंशज हैं।

20. वितरण के नियम प्राथमिकता के क्रम में हैं जैसा कि धारा 42 से 48 में निहित है। अधिनियम की योजना से यह स्पष्ट है कि जब निर्वसीयती ने किसी सजातीय वंशज को पीछे नहीं छोड़ा है और केवल परिजनों को छोड़ा है, तो निकट के परिजन, दूरस्थ परिजनों

को वर्जित कर देगें। पहला प्रतिवादी दूर का परिजन होने के नाते संपत्ति में किसी भी हिस्से को प्राप्त करने का हकदार नहीं है क्योंकि निर्वसीयती ने अपनी असली बहन को पीछे छोड़ा है।

21. हमें उत्तरदाताओं की इस दलील में कोई बल नजर नहीं आता कि वे संपत्ति में ¼" हिस्सा हासिल करने के हकदार हैं। इसलिए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, उच्च न्यायालय के निर्णय और डिक्री को रद्द करते हैं और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को बहाल करते हैं। वाद व्यय के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अंकित ज्ञान अपील की अनुमति दी गई।

अनुवादकर्ताः श्री निर्दोष कुमार, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली।